

*40  
Date*

प्रेषक,

एल० वैकटेश्वर लू  
 सचिव एवं राहत आयुक्त,  
 उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,  
 बरेली।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ : दिनांक : 12 जुलाई, 2013

विषय: वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 में बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों के पुनर्निर्माण/पुनर्स्थापना हेतु राज्य आपदा मोबक निधि से वर्ष 2013-14 में धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-165(1)/मु0रा0ले0/दै0आ0सहा0(2012-13), दिनांक-04 जून, 2013, पत्र संख्या-299(1)/मु0रा0ले0/दै0आ0सहा0(2012-13), दिनांक-03 जुलाई, 2013 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है जनपद बरेली में वर्ष 2011-12 एवं वर्ष 2012-13 में बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों के पुनर्निर्माण/पुनर्स्थापना हेतु ₹ 50.00 लाख तक के जिला स्तरीय राहत समिति द्वारा अनुमोदित 167 परियोजनाओं हेतु शासनादेश संख्या-1231/1-10-12-12(50)/2012, दिनांक 28.03.2013 द्वारा मांगी गई धनराशि ₹ 46,45,01,000/- के सापेक्ष 50 प्रतिशत धनराशि ₹ 23,22,50,500/- की धनराशि स्वीकृत की गयी थी। अब आपके द्वारा यह अवगत कराया गया है कि नगर आयुक्त, नगर निगम, बरेली को ट्रेजरी चेक संख्या-399588 दिनांक 31.03.13 के माध्यम से ₹ 2,53,63,500/- तथा जिला गन्ना अधिकारी, बरेली को ट्रेजरी चेक संख्या-399589 दिनांक 31.03.13 के माध्यम से ₹ 3,01,76,500/- की धनराशि उपलब्ध कराई गई थी, जिसे कार्यदायी संस्थाओं द्वारा समय से बैंक में चेक प्रस्तुत न करने के कारण उक्त धनराशि को अपने विभागीय खाते में जमा नहीं कराया जा सका, जिस कारण दिनांक 30.04.2013 व्यतीत हो जाने के कारण ₹ 5,55,40,000/- की धनराशि लैप्स हो गई। उक्त स्थिति से अवगत कराते हुये धनराशि ₹ 5,55,40,000/- की पुनः मांग की गई है। अतः उपलब्ध कराये गये प्रस्तावनुसार नगर निगम बरेली के लिए ₹ 2,53,63,500/- तथा जिला गन्ना अधिकारी, बरेली हेतु धनराशि ₹ 3,01,76,500/- अर्थात् वर्तमान वित्तीय वर्ष 2013-14 में कुल धनराशि ₹ 5,55,40,000/- (₹ 0 पौंच करोड़ पचपन लाख चालीस हजार मात्र) आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-आयोजनेत्तर-05-स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड-800-अन्य व्यय-03-स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

3. बाढ़ से तात्कालिक प्रकृति की अपरिहार्य परिस्थितियों वाले अहं एवं अनुमन्य श्रेणी की क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिस्मयत्तियों की आगामी वर्षा के पूर्व पुनर्निर्माण/पुनर्स्थापना/मरम्मत मद में धनराशि निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन ही व्यय की जायेगी। इस धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुरितका एवं अन्य सुसंगत नियमों/शासकीय निर्देशों के अधीन ही किया जायेगा। इस धनराशि का उपयोग अन्य किसी भी विभागीय कार्य हेतु कदापि न किया जाय। जिलाधिकारी द्वारा पुनः यह भी देख लिया जाय कि सन्दर्भित कार्यों के परिप्रेक्ष्य में आगणन की जाँच सक्षम स्तर पर कर ली गयी है तथा वह समस्त मानकों को पूर्ण करते हैं। शासनदेश सं0 2660/1-10-2012-रा-10-33(171)/2012, दिनांक 25 अक्टूबर, 2012 द्वारा दिये गये निर्देशानुसार तात्कालिक मरम्मत/पुनर्निर्माण/पुनर्स्थापना हेतु प्रस्तावों/कार्यों में किसी अन्य विभाग से धनराशि प्राप्त न होने का कार्यदायी विभाग से प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुये ही अवमुक्त धनराशि व्यय की जाय। स्वीकृत कार्यों की गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराने का उत्तराधिक सम्बन्धित कार्यदायी विभाग/जिलाधिकारी का होगा। प्राक्कलित लागत के सापेक्ष वास्तविक आंकलित लागत का ही धनावंटन किया जाय। प्रकरण में सम्बन्धित परियोजनाओं/कार्यदायी विभागों के लिए आवंटित/अवमुक्त धनराशि जो आहरित न होना बताया गया है, के सम्बन्ध में सन्दर्भित धनराशि रु0 5,55,40,000/- का आहरित न होने का पुनः सत्यापन कर लिया जायेगा।

4. उक्त धनराशि का व्यय शा०प०सं०-७८/पी०एस०आ०२०/2012, दिनांक 24.01.2012 के साथ संलग्न पत्र संख्या-३२-७/2011-NDM-1, दिनांक 16.01.2012 में भारत सरकार की गाइडलाइंस में निर्धारित एवं अहं मानक मदों एवं शासनदेश सं0 2785/1-10-2011-१२(73)/2008 दिनांक 14.10.2011 के अनुसार किया जायेगा।

5. बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिस्मयत्तियों की तात्कालिक मरम्मत/रेस्टोरेशन की उक्त परियोजनाओं को तात्कालिक रूप से पूर्ण कर लिया जाय। राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा। तात्कालिक प्रकृति के अपरिहार्य परिस्थितियों वाले मरम्मत/रेस्टोरेशन कार्यों की परियोजनाओं को खण्डों में कदापि विभाजित नहीं किया जायेगा, अपितु निरन्तरता वाले विभिन्न परियोजनाओं को एक ही परियोजना माना जायेगा।

6. उपरोक्त परियोजनाओं के कार्य मानक एवं गुणवत्तापूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करने के लिए कार्य की समय-समय पर वीडियोग्राफी/फोटोग्राफी भी करायी जाय तथा उनकी प्रति सीढ़ी शासन को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित की जाय।

7. कठिप्रय प्रकरणों में यह भी देखने में आया है कि आवंटित धनराशि एक मुश्त किसी सरकारी विभाग या स्थानीय प्राधिकारी को हस्तगत कराकर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर ली जाती है। यह स्थिति उचित नहीं है। निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है। अतः आपदा के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना, तदनुसार धन उपलब्ध कराना तथा इसका सदुपयोग सुनिश्चित कराना, व्यय का पूर्ण विवरण शासन को निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराना जिलाधिकारी का कर्तव्य है। अतः राज्य आपदा मोचक निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित उपयोग सुनिश्चित किया जाय।

8. राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाय तथा माह के अन्त में लेखा रजिस्टर जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित

किया जाय और मदवार मासिक व्यय विवरण शासनादेश संख्या—1693/1-11-2005-  
रा०-11, दिनांक 20 जून, 2005 द्वारा प्रसारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक  
उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत वेबसाइट <http://rahat.up.nic.in>  
पर भी फीड करवाना सुनिश्चित किया जाय। राज्य आपदा मोबक निधि से स्वीकृत  
घनराशियों के उपयोग / समर्पण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या—यूओ०-२/१-११-२०१३  
—रा०-11, दिनांक 04 मार्च, 2013 में दिये गये दिशा—निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा।  
शासन द्वारा स्वीकृत घनराशि में से यदि कोई बचत/अवशेष की रिस्थिति बनती है तो उसे  
वित्तीय वर्ष के समाप्त/दिनांक 31 मार्च, 2014 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित  
कर दिया जाये।

9. उक्त घनराशि का उपयोग प्रमाण—पत्र वित्तीय हस्तापुरितका खण्ड—५ भाग—१ के  
प्रस्तर—३६९ एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या—४२ आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध  
कराया जाय।

10. व्यय की घनराशि का महालेखाकार कार्यालय में सही मर्दों में पुस्तांकन कराया जाय  
और प्रत्येक माह में महालेखाकर कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर  
शासन को सूचित किया जाय।

भवदीय,

( एल० वेंकटेश्वर लू )

सचिव एवं राहत आयुक्त।

संख्या : 2734/1-10-2013-12(50)/2012, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

- 1— महालेखाकार—प्रथम/आडिट प्रथम, उ०प्र० इलाहाबाद।
- 2— आयुक्त, बरेली मण्डल, बरेली/प्रमुख सचिव, चीन उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग / नगर विकास विभाग, उ०प्र० शासन।
- 3— गन्ना आयुक्त, उ०प्र०, लखनऊ/निदेशक निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ।
- 4— आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ०प्र०, लखनऊ।
- 5— वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन०आई०सी०, योजना भवन, लखनऊ को राहत की वेबसाइट <http://rahat.up.nic.in> पर अपलोड किये जाने हेतु।
- 6— वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त, उ०प्र०।
- 7— मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, बरेली।
- 8— वित्त व्यय नियंत्रण, अनुभाग—५, उ०प्र० शासन।
- 9— समीक्षा अधिकारी (लेखा)/समीक्षा अधिकारी, राजस्व अनुभाग—१०/राजस्व अनुभाग—६/११, राहत वेबसाइट के उपयोगार्थ।
- 10— निजी सचिव, प्रमुख सचिव राजस्व विभाग।
- 11— गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

( अनिल कुमार बाजपेई )

उप सचिव।